



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09042021-226452
CG-DL-E-09042021-226452

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1358]

नई दिल्ली बुधवार, अप्रैल 7, 2021/चैत्र 17, 1943

No. 1358]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 2021/CHAITRA 17, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 2021

का.आ. 1469(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 632(अ) दिनांक 10-02-2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी. 137.9 (शामली से सहारनपुर खण्ड) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19.02.2021" को "दैनिक जागरण" और "हिन्दुस्तान टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के शामली जिले में NH709B के कि.मी. 67.3 से कि.मी.137.9 (शामली से सहारनपुर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश		जिले का नाम: शामली			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: शामली				
	गांव का नाम: बनत				
1	1126	निजी	एग्रीकल्चर	0.0771	जगवती / इन्द्रजीत सिंह / नि.सिसौली इन्द्रजीत सिंह / महेन्द्र सिंह / नि.सिसौली रामकुमार / महीपाल सिंह / नि.बन्तीखेडा राजा / रामकुमार / नि.बन्तीखेडा केला देवी / विक्रम सिंह / नि.बन्तीखेडा संजीव कुमार / बलवीर सिंह / नि.ग्राम ब्रजपाल सिंह / सोम सिंह / नि.ग्राम अनिता / नरेन्द्र सिंह / नि.ग्राम हरेन्द्र कुमार / हरबीर सिंह / नि.ग्राम कपिल राणा / हरबीर सिंह / नि.ग्राम धर्मबीरी / स्व0हरबीर सिंह / नि.ग्राम सुभलेश / स्व0रणवीर सिंह / नि.ग्राम श्रीमती लिच्छो देवी पत्नी ब्रजपाल सिंह निवासी ग्राम खेडी बैरागी व श्रीमती सुरेश देवी पत्नी रामपाल सिंह निवासी ()

2	1171/1	निजी	एग्रीकल्चर	0.386	प्रमोद कुमार व ऋषिपाल सिंह पुत्रगण फीम सिंह नि0ग्राम ()
गांव का नाम: शामली					
3	4032	निजी	एग्रीकल्चर	0.1424	सत्यपाल / आसाराम / नि. ग्राम उपेन्द्र निर्वाण पुत्र भोपाल सिंह व श्रीमती उषा पत्नी भोपाल सिंह नि0शामली रविन्द्र कुमार / महावीर / नि. ग्राम जितेन्द्र कुमार / महावीर / नि. ग्राम गीता देवी पत्नि / धर्मेन्द्र / नि. ग्राम उत्कर्ष नाबा04 वर्ष / धर्मेन्द्र संर0गीता देवी माता / नि. ग्राम ()
4	4033	निजी	एग्रीकल्चर	0.005	सत्यपाल / आसाराम / नि. ग्राम उपेन्द्र निर्वाण पुत्र भोपाल सिंह व श्रीमती उषा पत्नी भोपाल सिंह नि0शामली रविन्द्र कुमार / महावीर / नि. ग्राम जितेन्द्र कुमार / महावीर / नि. ग्राम गीता देवी पत्नि / धर्मेन्द्र / नि. ग्राम उत्कर्ष नाबा04 वर्ष / धर्मेन्द्र संर0गीता देवी माता / नि. ग्राम ()
गांव का नाम: ताजपुर सिंभालका					
5	724	निजी	एग्रीकल्चर	0.0453	महकसिंह / भंवरसिंह / नि. ग्राम सोमपालसिंह / भंवरसिंह / नि. ग्राम राजकुमार / भंवरसिंह / नि. ग्राम कुलदीप / ब्रजपालसिंह / नि. ग्राम प्रदीप / ब्रजपालसिंह / नि. ग्राम विमला देवी पत्नि / ब्रजपालसिंह / नि. ग्राम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण / चतुर्थ तल किसान मण्डी भवन / विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ ()
6	737	निजी	एग्रीकल्चर	0.0388	जगराम / नौबत / नि0ग्रा0 संजीव कुमार / बलजोरसिंह / नि0ग्रा0 राजीव / बलजोरसिंह / नि. ग्राम सुरेन्द्र / प्रकाशा /

					नि.ग्राम देवेन्द्र / प्रकाशा / नि.ग्राम योगेन्द्र / प्रकाशा / नि.ग्राम दिनेश / प्रकाशा / नि.ग्राम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण / चतुर्थ तल किसान मण्डी भवन / विभूति खण्ड गोमतीनगर लखनऊ ()
			कुल	0.6946	

[फा. सं. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghat/3D2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th April, 2021

S.O. 1469(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 632(E) date 10.02.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH709B on the stretch of land from Km 67.3 to Km 137.9 (Shamli to Saharanpur Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” and “Hindustan Times” both dated 19.02.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submittedgdgj’;

Ghklrtyipo0sdjk.,cvmbdsfjgerioueriut its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH709B in the stretch of land from Km 67.3 to Km. 137.9 (Shamli to Saharanpur Section) in the district of SHAMLI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: SHAMLI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shamli					
Village: Banat					
1	1126	Private	Agriculture	0.0771	Jagwati / Indrajit Singh / N Sisauli Indrajit Singh / Mahendra Singh / N Sisauli Ramkumar / Mahipal Singh / N.Bantikheda Raja / Ramkumar / N.Bantikheda Kela Devi / Vikram Singh / N.Bantikheda Sanjeev Kumar / Balveer Singh / NGG Brajpal Singh / Som Singh / Nagram Anita / Narendra Singh / NGG Harendra Kumar / Harbir Singh / NGG Kapil Rana / Harbir Singh / NGG Dharmabiri / Late Harbir Singh / Nigram Subhalesh / Late Ranveer Singh / NGG Mrs. Lichho Devi wife Brajpal Singh resident of village Khedi Bairagi and Mrs. Suresh Devi wife Rampal Singh resident of village jaganpur
2	1171/1	Private	Agriculture	0.386	Pramod Kumar and Rishipal Singhs sons Phim Singh ni.gram
Village: Shamli					
3	4032	Private	Agriculture	0.1424	Satyapal / Asaram / R.S. gram Upendra Nirwal son Bhopal Singh and Mrs. Usha wife Bhopal Singh Mr. Shamli Ravindra Kumar / Mahaveer / R.S. gram Jitendra Kumar / Mahaveer / N.S. gram Geeta Devi wife / Dharmendra / N.S. gram Utkarsh Naba 04 years / Dharmendra Conservation Geeta Devi Mata /ni. Gram
4	4033	Private	Agriculture	0.005	Satyapal / Asaram / R.S. gram Upendra Nirwal son Bhopal Singh and Mrs. Usha wife Bhopal Singh Mr. Shamli Ravindra Kumar / Mahaveer / R.S. gram Jitendra Kumar / Mahaveer / N.S. gram Geeta Devi wife / Dharmendra / N.S. gram Utkarsh Naba 04 years / Dharmendra Conservation Geeta Devi Mata /ni. Gram
Village: Tajpur Simbhalka					
5	724	Private	Agriculture	0.0453	Mahak Singh / Bhanwar Singh / ni.gram Sompal Singh / Bhanwar Singh /ni.gram Rajkumar / Bhanwar Singh / ni.gram Kuldeep / Brajpal Singh / ni.gram Pradeep / Brajpal Singh / ni.gram Vimala Devi wife / Brajpal Singh /ni.gram Uttar Pradesh State Highway Authority
6	737	Private	Agriculture	0.0388	Jagram / Naubat / ni.gram Sanjeev Kumar / Baljorsih / ni.gram Rajiv / Baljorsingh / ni.gram Surendra / Prakasha / Nigram Devendra / Prakasha / Nigram Yogendra / Prakasha / Nigram Dinesh / Prakasha / Nigram Uttar Pradesh State Highway Authority
			TOTAL	0.6946	

[F. No. NHAI/LANOTF/2018/PIU-Baghat/3D2]

RAJESH GUPTA, Director